न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नम्बर 2021/198

1. सरपंच, ग्राम पंचायत पडासौली हाल निर्वाचित सरपंच रामचन्द्र चौधरी पुत्र स्व. श्री भूराराम जाति जाट, निवासी पड़ासौली तहसील दूदू जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार दूदू जिला जयपुर।
2. राजकीय राजीव गांधी पाठशाला तेतरवालों की ढाणी, पडासौली, तहसील दूदू जिला जयपुर जरिये प्रधानाध्यापक हाल पदस्थापित श्रीमती रजनी देवी

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 20.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध दिनांक 16.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष बाबत चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2938/1439 रकबा 0.81 हैक्टयर गैर मु. खेल का मैदान वाके ग्राम पडासौली तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर जो प्रार्थी राजकीय राजीव ग्राम पाठशाला तेतरवालों की ढाणी पड़ासौली तहसील दूदू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका मूल खसरा नम्बर 1439 रकबा 8.71 हैक्टयर गै.मु. चारागाह में तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पक्षकार नही बनाया और प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2021 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि चारागाह भूमि है जिसकी ग्राम पंचायत पडासौली ट्रस्टी है एवं उसका रख रखाव करती है जिसे बिना पक्षकार बनाये एवं बिना मौके व कब्जे की जॉच किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिसमें अपीलार्थी ग्रामवासी सीधे पीड़ित एवं हितकार व्यक्ति है तथा उक्त तरमीम के आदेश से सीधे प्रभावित होने से ग्राम पंचायत पडासौली ने प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 04.08.2021 को सर्वसम्मति से लेकर उक्त अपील की है तथा अपील

के साथ प्रस्ताव की नकल संलग्न की तथा धारा 96 जा.दी0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसका रेस्पोडेन्ट ने कोई जवाब एवं काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के हित निहित होने से अपीलार्थी उक्त अपील करने का अधिकारी है इसलिये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 जा. दी. का स्वीकार फरमाया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.06.2021 को दर्ज किया जाकर वास्ते तलबी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 05.07.2021 नियत की गई, तत्पश्चात् दिनांक 05.07.2021 से आगाती तारीख पेशी दिनांक 13.07.2021 दी गई, दिनांक 13.07.2021 को इन्तजार तामील पर दिनांक 02.08.2021 आगामी पेशी दी गई जबकि दिनांक 02.08.2021 को तहसीलदार की रिपोर्ट एवं बहस सुनकर उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया जबकि दिनांक 02.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी दूदू का स्थानान्तरण हो चुका था तथा कानूनन स्थानान्तरधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई निर्णय नही किया जा सकता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.08.2021 में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2938/1439 रकबा 0.81 हैक्टयर वाके ग्राम पड़ासौली तहसील दूदू की वर्तमान तरमीम हजफ की जाकर मूल खसरा नम्बर 1439 के बीचो–बीच अर्थात मौके पर कब्जे अनुसार एवं तहसील रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शें मे दर्शित जगह पर नवीन तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया है जो एक दुसरे के विरोधाभाषी होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है क्योंकि उक्त आदेश में एक ओर खसरा नम्बर 1439 के बीचो–बीच दर्शित स्थान दुसरी ओर तहसील रिपोर्ट में सलंग्न नजरी नक्शें में एवं तीसरी ओर मौके कब्जे अनुसार ये तीनों स्थितियॉं आपस मे विरोधाभाषी है। खसरा नम्बर 1439 के बीचो–बीच वर्तमान स्कूल भवन है और उसके पूर्वी साईड में स्कूल का मैदान है जबकि प्रस्तावित भूमि मौजूद स्कूल भवन के पूर्वी साईड में दर्शायी गयी है जहॉं वर्तमान में गैर मु. तलाई खसरा नम्बर 1438 का वर्तमान मे वर्षा का पानी भरा हुआ है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निणर्य बिना नाप चौक केवल कयासी तौर पर एवं मौके व कब्जे के विपरित एवं सार्वजनिक हितो के विपरित होने से निरस्तीय है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो पूर्व के कलक्टर जयपुर द्वारा राजकीय राजीव गांधी स्कूल तेतरवालों की ढाणी के साबिक खसरा नम्बर 1315/1 में से 4 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2938/1439 रकबा 0.81 हैक्टयर बने है जो जिला कलक्टर राजस्व द्वारा अनुमादित नक्शे के विपरित जाकर तरतमीम के आदेश प्रदान किये है जो अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित

आयुक्त

P.T.O.

अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर वर्तमान मौजूदा स्कूल भवन के पश्चिम साईड पर खसरा नम्बर 1439 गै.मु. चारागाह में से 0.81 हैक्टयर रकबा कम करके मौके पर नाप जोक खसरा नम्बर 2938/1439 जो वर्तमान स्थान है को चारागाह में दर्ज किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपील स्वीकार करने एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती प्रस्तुत किया है तथा न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता स्वयं ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड किये जाने का कथन किया है ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय 3 माह में पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर